

युवक कांग्रेस के मतदान व सदस्यता की तिथियां घोषित : बोगा जगदीश

छिन्दवाड़ा, देशबन्धु। युवक कांग्रेस के चुनाव सम्बन्धित प्रक्रिया और तारीखों की विधिवत घोषणा की गई। स्थानीय राजीव कांग्रेस भवन में सम्पन्न हुई पत्रकार वार्ता को सम्बोधित करते हुए चुनाव प्रभारी एवं जिला युवक कांग्रेस के पदाधिकारियों के द्वारा युवक कांग्रेस के चुनाव से जुड़ी सम्पूर्ण विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

आयोजित पत्रकार वार्ता को सम्बोधित करते हुए चुनाव प्रभारी बोगा जगदीश ने कहा कि भारतीय युवा कांग्रेस चुनाव प्राधिकरण द्वारा मप्र युवा कांग्रेस चुनाव 20 जून 2025 से प्रारंभ होकर आगामी माह 19 जुलाई 2025 को सार्यकाल 05:00 बजे तक चलेगा।

सदस्यता शुल्क 50 रुपए भुगतान की अंतिम तिथि 21 जुलाई को सार्यकाल 05:00 बजे तक निर्धारित की गई है। पूरे 1 माह के चुनाव के दौरान सदस्यता अभियान में सदस्यता और मतदान विध आई.वाय.सी. एप पर ऑनलाइन किया जाएगा।

20 जून से 19 जुलाई तक एक साथ होगी सदस्यता और मतदान की प्रक्रिया



युवक कांग्रेस की ब्लॉक कमेटी, विधानसभा कमेटी, जिला महासचिव, जिला अध्यक्ष, प्रदेश महासचिव, प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए मतदान किया जाएगा। सदस्यता व मतदान में 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग के सभी पात्र युवक-युवतियां इस प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। चुनाव प्रभारी जगदीश ने जानकारी देते हुए

कहा कि मतदान के दौरान दस्तावेज पहचान पत्र के रूप में वोटर आई.डी. कार्ड एवं ई-मतदान पहचान पत्र के साथ स्वयं का आधार कार्ड दिखाने की वैधता रखी गई है। सदस्यता और मतदान का पूर्ण कार्य विध आई.वाय.सी. एप के द्वारा ऑनलाइन संचालित हो रहा है।

सदस्यता और मतदान के उपरांत जांच की जाएगी और परिणाम घोषित किए जाएंगे। परंतु जब उनसे पूछा गया कि कितने नाम आएंगे जिलाध्यक्ष के लिए तब उन्होंने बताया कि छिन्दवाड़ा में एक और

पांडुर्णा में एक ही नाम आएंगे हैं। हालांकि यह कोई नई बात नहीं है कि छिन्दवाड़ा में वही होगा जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूर्व सांसद नकुलनाथ चाहेंगे। शायद यही कारण है कि चुनाव तो हो रहे हैं लेकिन छिन्दवाड़ा और पांडुर्णा में नाम लगभग तय ही माना जा रहा है।

वार्ड 22 के गरीबों को भी मिले नल कनेक्शन : कांग्रेस



छिन्दवाड़ा, देशबन्धु। नगर के सिवनी रोड स्थित वार्ड क्रमांक 22 शक्कर मिल के पीछे निवासरत सैकड़ों परिवार वर्षों से मूलभूत सुविधाओं की कमी का सामना कर रहे हैं। बारिश के समय सड़क, कीचड़ में तब्दील हो जाती है इसके चलते आवागमन बेहद परेशानी भरा होता है। नगर निगम की जलप्रदाय योजना से भी वंचित है।

कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के द्वारा शक्कर मिल के पीछे निवासरत परिवारों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग नगर पालिक निगम छिन्दवाड़ा के आयुक्त से की गई।

कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के नेतृत्व में

असुविधाओं का सामना करने वाले परिवार के लोगों ने निगम कार्यालय पहुँचकर अविलम्ब नल कनेक्शन प्रदान करने के साथ ही पक्की सड़क निर्माण की मांग रखी।

बारिश के मद्देनजर तत्काल गिट्टी डालकर आवागमन हेतु व्यवस्था बनाने की मांग निगम आयुक्त से की गई। ज्ञापन प्रस्तुत करते समय झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष फ़िरोज खान, शालू सहारे, नीलम रजक, सरला, मोना धुर्वे, बेलाबाई, मुन्नी, शकुन अहरवार व बबीता उइके सहित कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के पदाधिकारी व कार्यकर्तागण उपस्थित रहे।

सार-समाचार

जिले में अब तक 74.6 मिमी औसत वर्षा दर्ज

छिन्दवाड़ा, देशबन्धु। जिले की औसत वर्षा 1059 मिमी. है तथा जिले में अभी तक 74.6 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई है, जबकि गत वर्ष इस अवधि तक 107.2 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई थी। जिले में 23 जून 2025 को प्रातः 8 बजे समाप्त 24 घंटों के दौरान 3.5 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई है। अधीक्षक भू-अभिलेख ने बताया कि 23 जून 2025 को प्रातः 8 बजे समाप्त 24 घंटों के दौरान तहसील छिंदवाड़ा में 5.2, मोहखेड़ में 01, अमरवाड़ा में 5, चौरई में 5, हरई में 5.6, परासिया में 6.1, जुन्नारदेव में 5.4 और उमरेठ में 5.2 मिमी वर्षा दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि जिले में एक जून से अभी तक तहसील छिन्दवाड़ा में 83.8, मोहखेड़ में 68.1, तामिया में 75, अमरवाड़ा में 72.6, चौरई में 60.6, हरई में 106.6, बिछुआ में 49, परासिया में 65.2, जुन्नारदेव में 59.8, चांद में 77.2 और उमरेठ में 105.4 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई है।

तीन प्राचार्यों के खिलाफ प्रेषित की गई ईओडब्ल्यू भोपाल में शिकायत

छिन्दवाड़ा, देशबन्धु। शहर छिन्दवाड़ा के तीन शासकीय स्कूलों के प्राचार्यों की शिकायतें आय से अधिक संपत्ति तथा वित्तिय अनियमितता को लेकर आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो भोपाल कार्यालय को शपथ पत्र सहित भेजी गई है। इन तीनों प्राचार्यों के खिलाफ शीघ्र ही जांच होने की संभावना बतायी जा रही है। शिकायतकर्ता मनोज कुमार ने दस्तावेज प्राप्त करने के बाद शिकायत भोपाल के अधिकारियों को सौपा है की जानकारी मिली है।

जिले की सभी जनपद पंचायतों में आज से दस जुलाई तक लगेंगे पंजीयन शिविर

छिन्दवाड़ा, देशबन्धु। जिला रोजगार कार्यालय और एस.आर.एल.एम. द्वारा छिन्दवाड़ा जिले की सभी जनपद पंचायतों में एस.एस.सी.आई. अनुपपुर में सुरक्षा जवान/सुरक्षा सुपरवाईजर पद के लिये 24 जून से 10 जुलाई 2025 तक प्रातः 10:30 से दोपहर 2:30 बजे तक पंजीयन शिविरों का आयोजन किया गया है। कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह द्वारा सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों व मुख्य नगर पालिका अधिकारी दमुआ को निर्देश दिये गये हैं कि अपने जनपद पंचायत क्षेत्र व नगर पालिका परिषद दमुआ में पंजीयन शिविरों की तिथियों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना सुनिश्चित करें जिससे बेरोजगार आवेदक पंजीयन शिविर में शामिल हो सकें। संबंधित जनपद पंचायतों के बेरोजगार आवेदक हितग्राही इन पंजीयन शिविरों में उपस्थित होकर अपना पंजीयन करा सकते हैं।

कलेक्टर ने बताया कि जनपद पंचायत मोहखेड़ में 24 जून, जनपद पंचायत बिछुआ में 25 जून, जनपद पंचायत परासिया में 26 जून, जनपद पंचायत जुन्नारदेव में 27 जून, जनपद पंचायत अमरवाड़ा में 28 जून, जनपद पंचायत तामिया में 4 जुलाई एवं शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय तामिया में 5 जुलाई तथा नगर पालिका परिषद दमुआ में 7 जुलाई, जनपद पंचायत हरई में 8 जुलाई, जनपद पंचायत चौरई में 9 जुलाई और जनपद पंचायत छिन्दवाड़ा में 10 जुलाई को पंजीयन शिविर का आयोजन किया गया है।

एकमुश्त राशन वितरण के लिये नौ अतिरिक्त वाहन

छिन्दवाड़ा, देशबन्धु। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग भोपाल द्वारा जारी निर्देशानुसार माह जून- 2025, जुलाई- 2025 एवं अगस्त- 2025 तीन माह की पीडीएस के तहत पात्रानुसार राशन सामग्री का एकमुश्त वितरण कराये जाने के निर्देश हैं। जिला आपूर्ति अधिकारी छिंदवाड़ा ने बताया कि शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत आर्बटिड राशन सामग्री को प्रदाय केन्द्र से उचित मूल्य दुकानों तक परिवहन के लिये लाघू की गई मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के अंतर्गत छिन्दवाड़ा जिले के लिये लगाये गये कुल 23 वाहनों से परिवहन कार्य कराया जा रहा था, किन्तु तीन माह की राशन सामग्री एकमुश्त वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के अंतर्गत इन 23 वाहनों के अलावा संबंधित परिवहनकर्ताओं की सहमति के आधार पर 09 वाहन अतिरिक्त लगाये जाने की अनुमति ली गई है।

एनसीसी के कैडेट्स ने शहीद स्मारक के आसपास की सफाई



छिन्दवाड़ा, देशबन्धु। डी.डी.सी. महाविद्यालय के एन.सी.सी. कैडेट्स ने 24 एम.पी. बटालियन के कमान अधिकारी के आदेश अनुसार शहीद स्मारक पर लेफ्टिनेंट माइक प्रकाश के मार्गदर्शन में महाविद्यालय की बाँयज एवं गर्ल्स विंग द्वारा संयुक्त रूप से शहीद स्मारक के आसपास की

सफाई करते हुए स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया। क्रेडिट द्वारा शहीद स्मारक को एनसीसी के लोगों की थीम अनुसार साज सज्जा करते हुए उसे सजाते हुए शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम को सफल बनाने में एन सी सी के बाँयज एंड गर्ल्स विंग का विशेष सहयोग रहा।

महिला बाल विकास विभाग में भर्शाहाी

छिन्दवाड़ा, देशबन्धु। महिला बाल विकास विभाग में तत्कालीन विभाग के अधिकारियों के कार्यकाल में भर्शाहाी रही है इनके कार्यकाल में मंगल दिवस की राशि के साथ साथ आंगनबाड़ी केन्द्रों का किराया भी समय पर नहीं दिया गया। तत्कालीन अधिकारियों के कार्यकाल में पूरे आंगनबाड़ी केन्द्रों के सहायिकाओं, कार्यकर्ताओं को परेशान किया गया और उनसे दक्षिणा की मांग की गई और नहीं देने पर धमकाया, चमकाया गया था की भी शिकायत उच्च स्तरीय अधिकारियों को की गई है।

आपातकाल की 50वीं बरसी मनाएंगे लोकतंत्र सेनानी : रमेश

छिन्दवाड़ा, देशबन्धु। लोकतंत्र सेनानी के जिलाध्यक्ष रमेश पोफली ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए आपातकाल के 50 वर्ष होने पर पूरे देश में मनाने का आह्वान करते हुए पत्रकारों से विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि वर्ष 1971 में लोकसभा के चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रायबरेली चुनावी क्षेत्र से चुनाव में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, उनके विरोध में समाजवादी नेता राजनारायणसिंह ने भी चुनाव हेतु नामांकन प्रस्तुत किया।

उक्त चुनाव में इंदिरा गांधी विजयी घोषित हुई। चुनाव के पश्चात राजनारायणसिंह ने गांधी के विरुद्ध इलाहाबाद उच्च न्यायालय में उनके निर्वाचन को लेकर अपील प्रस्तुत की। जिसमें उन्होंने गवाहों एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर न्यायालय में अपील प्रस्तुत की थी। न्यायालय ने दस्तावेज एवं गवाहों के सही ठहराते हुये इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायधीश जगमोहन सिन्हा ने गांधी का चुनाव अवैध घोषित करते हुये उन्हें 6 वर्ष के लिये अपात्र घोषित कर दिया साथ ही सदन में किसी भी मुद्दे पर वोट न करने का अधिकार भी समाप्त कर दिया, परंतु गांधी को उच्चतम न्यायालय में स्थगन प्राप्त करने का अधिकार दिया गया।

गांधी के चुनाव अवैध होने के कारण उन पर इस्तीफा देने का दबाव देश की तमाम विपक्ष की राजनैतिक पार्टियों के साथ साथ कांग्रेस के अंदर भी दबी जवान में इस्तीफा देने का दबाव बनाया जाने लगा। गुजरात से शुरू हुये छात्र आंदोलन को बिहार ने हवा दी तथा महान क्रांतिकारी गांधीवादी विचारधारा के सर्वमान्य नेता जयप्रकाश नारायण जे.पी. के नेतृत्व में संपूर्ण देश में संपूर्ण क्रांति के साथ-साथ सिंहासन खाली करे, जनता

आती है का नारा बुलन्द हो गया था। तमाम राजनैतिक पार्टियों के नेतागण जे.पी. के इस आंदोलन में सम्मिलित हुये तथा श्रीमती गांधी के चुनाव अवैध को लेकर संपूर्ण देश



छिन्दवाड़ा, देशबन्धु। सोमवार को पत्रकार वार्ता में जानकारी देते लोकतंत्र सेनानी संघ के पदाधिकारी।

में अलख जगाया जाने लगा 25 जून 1975 को दशहरा मैदान जे.पी. के नेतृत्व में तमाम राजनैतिक पार्टी एकत्रित हो तथा सत्ता परिवर्तन हेतु संकल्प लिया गया।

देश में जन आंदोलन तेजी से बढ़ने लगा जिस पर संजय, गांधी विद्याचरण शुक्ल, सिद्धार्थ शंकर रे जैसे कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने इस्तीफा न देने के लिये राजी किया तथा 25 जून 1975 की दरम्यानी रात्रि में श्रीमती गांधी जो देश की प्रधानमंत्री थी उन्होंने संविधान की धारा 352 का उपयोग

करते हुये आंतरिक आपातकाल की घोषणा रेडियों के माध्यम की तथा देश के नागरिकों से अपील की यह आपातकाल अल्प समय के लिये घोषित की गई है।

बताया जाता है कि अर्द्ध रात्रि में देश के राष्ट्रपति के जगाकर बगौर मंत्री मण्डल की स्वीकृति के आपातकाल की घोषणा श्रीमती गांधी ने देश के तात्कालिक राष्ट्रपति पञ्चरत्न अली अहमद से हस्ताक्षर कराये तथा बाद में मंत्रीमण्डल से आपातकाल का प्रस्ताव पारित करवाया। आपातकाल की घोषणा होते ही देश के विपक्ष की समस्त राजनैतिक पार्टियों के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को यहाँ तक कि जयप्रकाश नारायण जे.पी., मुरारजी देसाई, चौधरी चरणसिंह, अटलबिहारी बाजपेयी, लालकृष्ण आडवानी, मधु लिमिये के साथ साथ लाखों की संख्या में

सामाजिक, राजनैतिक कार्यकर्ताओं को जेलों में बंद कर दिया जो 19 माह तक जेल में बंद रहे।

प्रेस को आजादी पर अंकुश लगा दिया गया। जो विपक्षीय मानसिकता के अखबार थे। उनके आफिस विद्युत लाईन काट दी गई। अखबार के प्रकाशन बंद कर दिये गये। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई। बगौर शासन अनुमति के अखबारों में समाचारों के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। संविधान की धारा 19 को शून्य घोषित कर

नागरिकों को बुनियादी आजादी समाप्त कर दी गई थी। जेल में बंद मौसाधारा के तहत सामाजिक, राजनैतिक कार्यकर्ताओं को संविधान की धारा 21 को शून्य घोषित कर उनको न्याय प्राप्त करने का अधिकार समाप्त कर दिया था। मौसा एवं डीआईआर के अंतर्गत जेल में बंद व्यक्तियों को ना अपील, ना दलील का अवसर समाप्त कर दिया था। उक्त धारा के अंतर्गत जेल में बंद व्यक्तियों को इस बात का ज्ञान नहीं था कि किस अवधि में जेल से बाहर निकलेगें उन पर अनिश्चितता की तलवार लटकती हुई थी।

जेल में बंद राजनैतिक, सामाजिक कार्यकर्ताओं को अनेकों प्रकार से प्रताड़ित किया गया। बहुत से कार्यकर्ता की जेल में मृत्यु हुई तथा 19 महीने तक जेल में रहे। था अनेको कार्यकर्ता गंभीर बीमारियों से ग्रसित हुये। अनेको कार्यकर्ताओं के व्यापार एवं भरण पोषण के संसाधन समाप्त हो गये थे। कार्यकर्ताओं के परिवारों पर अनावश्यक दबाव बनाकर उन्हें भी जेल में बंद होने की कांग्रेस के छुटभैया नेता धमकियां देते थे।

25 जून 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई थी। तब से लेकर 25 जून 2025 में आपातकाल की 50वीं बरसी लोकतंत्र सेनानी जो आपातकाल के समय जेल में निरुद्ध थे। उनके द्वारा संपूर्ण देश में मनाई जा रही है। लोकतंत्र सेनानियों ने पत्रकारवाता में कहा कि हम चाहते हैं कि मौसाबंदी शब्द हटाकर केवल लोकतंत्र सेनानी रखा जाए और उनके परिजनों को लोकतंत्र प्रहरी के रूप में चिन्हित किया गया है और बांकी लोकतंत्र सेनानियों को ताम्रपत्र दिया जावे। पत्रकारवाता में रमेश पोफली, दीनदयाल मोहने, अजय औरंगाबादकर, चिवल यादव एवं अशोक पोफली, मधुकरराव पोफली एवं अन्य सदस्य उपस्थित थे।

